न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3868–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.5.12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, विदिशा प्रकरण कमांक 99/निगरानी/2008–09.

1– फरीद खां पुत्र हाजी रफीक मियां
2– रशीद खां पुत्र सिकन्दर खां
3– रईस खां पुत्र करीम खां
4– भैय्यन खां पुत्र अब्दुल गफूर खां
5– मोहम्मद सादिक खॉ पुत्र रईस खां
सभी निवासीगण ग्राम देहरी तहसील सिंरोज
जिला विदिशा म.प्र. ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोहम्मद रफीक खान पुत्र याकूब खां
निवासी टोरी गली रमजानी वार्ड कमांक 21
तहसील सिंरोज जिला विदिशा म.प्र.
2– लियाकत अली खान
3– राहत अली खान
4– सआदत अली खान
5– अहमद अली खान
6– सुजाअत अली खान
कमांक 2 से 6 पुत्र श्री विलायत अली खान
सभी निवासीगण द्वारा मालवा एस.टी.डी.
तलैया मोहल्ला तहसील सिंरोज
जिला विदिशा म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री मनोज गुप्ता, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री संजय नायक, अधिवक्ता, अनावेदक क्र. 2 से 6.

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/15 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, विदिशा के प्रकरण कमांक आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 99/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश

दिनांक 30.5.12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में ग्राम आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम देहली प.ह. 36 स्थत भूमि सर्वे नं. 355, 384 रकबा कमशः 1.012 एवं 1.252 जो कि निजी भूमियां हैं, लेकिन स्थल पर मुस्लिम कब्रिस्तान है , अतः स्थल को कब्रिस्तान मद में परिवर्तित किया जाये । इस आवेदन पर प्रकरण पंजी बद्ध कर नायब तहसीलदार ने आपत्ति/इश्तहार जारी करने तथा अनावेदकों को तलब करने के आदेश दिए । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नही दिया कि प्र.क्र. 1/अ–12/08–09 तथा प्रकरण कमांक 2/अ–12/08–09 में प्रस्तुत पंचनामा में विवादित खसरों में उभयपक्ष की सहमति दी गई थी और उसी के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कार्यवाही की जा रही थी । समझौते के आधार पर की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्याालय को नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 1996 एम.पी.एल.जे. 25 एवं आर. 2007 पृष्ठ 359 को उद्धरित किया गया है । यह भी कहा कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन नोईयत परिवर्तन का था संहिता की धारा 234 (4) के अनुसार इस पर कार्यवाही का अधिकार एस.डी.ओ. को है । इस तथ्य को अपर कलेक्टर ने अनदेखा किया है । अपर कलेक्टर ने निगरानी में उठाये गये बिंदओं से हटकर आदेश पारित किया है । अपर कलेक्टर को चाहिए था कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को सक्षम न्यायालय में पेश करने के निर्देश देते । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई तिथि को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किए गए हैं ।

5-- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । प्रकरण में आवेदक ने जहां तक गुणदोषों का प्रश्न है इस बिंदु पर अपर कलेक्टर के आदेश को इस निगरानी में चुनौती नहीं दी है । स्पष्ट है कि वह कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में उठाए गए विधिक प्रावधानों/तर्कों से सहमत है । आवेदक की एक मात्र आपत्ति यह है कि कलेक्टर को उसका मूल आवेदन सक्षम न्यायालय को भेजना था । लेकिन उसकी यह आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर ने स्पष्ट माना है कि आवेदक की नौइयत परिवर्तन की मांग नियकानुकूल नहीं थी । इस बिंदु को आवेदक ने इस निगरानी में चुनौती भी नहीं दी है । ऐसी स्थिति में आवेदक की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर